महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – नवासीवां संस्करण (माह अगस्त, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. जल का परीक्षण
3. महिला सशक्तिकरण – एक सशक्त समाज
4. ग्राम पंचायत के कर्तव्य और शक्तियां
5. संस्थान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम
6. सपनों को साकार करता समूह
7. बाल हितेषी एवं महिला हितेषी गर्वनेन्स पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का नवासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का आठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में स्थानीय स्वशासन स्तर पर बाल मैत्रीपूर्ण गांव या गांव के विकास को मजबूत करने का उपयुक्त समय है। इस पृष्ठभूमि के साथ बाल उत्तरदायी और लिंग उत्तरदायी शासन को मजबूत करने पर यूनीसेफ और भीमराव अम्बेडकर प्रशासन एवं पंचायतरात विकास संस्थान कल्याणी पश्चिम बंगााल के सहयोग से बाल उत्तरदायी एवं लिंग उत्तरदायी शासन को मजबूत करने हेतु दिनांक 19 से 20 जुलाई 2023 जक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसे **''बाल हितेषी एवं महिला हितेषी गर्वनेन्स पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''जल का परीक्षण''**, **''महिला सशक्तिकरण – एक सशक्त समाज''**, **''ग्राम पंचायत के कर्तव्य और शक्तियां''**, **''संस्थान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम''** एवं **''सपनों को साकार करता समूह''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

जल का परीक्षण

शुद्ध जल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है जब वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। पेयजल के लिए हम लोग अधिकांशतः नदियां, झीलों, और सतही जल स्त्रोतों पर निर्भर हैं। प्रायः इन स्त्रोतों का उपयोग करने से पहले रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण किया जाना आवश्यक होता

जल का नमूना लेने की पद्धति

- नमूना जल लेने वाले पात्र/बीकर को परीक्षण किए जाने वाले जल से अच्छी तरह धोकर साफ किया जाना चाहिए।
- वहां से नमूना जल लीजिए जहां पर पानी अच्छी तरह मिश्रित है।
- सतही जल स्त्रोतों के लिए नमूना जल लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई से भरें।
- जहां पर पानी में तैरती हुई सामग्रियां एवं अघुलनषील पदार्थ हों वहां से नमूना जल ना लें।
- कुऑ और इसी तरीके के अन्य स्त्रोतों से नमूना जल लेने के लिए नमूना जल लेने वाली बॉटल को एक रस्सी की मदद से बांध लें और उसके तल पर वजन बांध लें

विशेष सावधानियां

- किट का उपयोग केवल जल परीक्षण के लिए है।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखिए।
- किट को ठंडे एवं सूखे स्थान पर रखना चाहिए।
- अगर रसायन तो त्वचा या आंखों के संपर्क में आए तो तुरंत साफ पानी से धो लें।

नोट :– नियत समय के पश्चात परीक्षण के रंग में परिवर्तन हो सकता है जो अमान्य है अतः नियत समय के भीतर ही परीक्षण का निरीक्षण करें।

जल परीक्षण के प्रकार

1. पी.एच. टेस्ट
2. कुल कठोरता टेस्ट
3. क्लोराईड टेस्ट
4. फ्लोराईड टेस्ट
5. कुल आयरन टेस्ट
6. फ्री क्लोरीन टेस्ट
7. नाइट्रेट टेस्ट
8. अमोनिया टेस्ट
9. कुल क्षारीयता टेस्ट
10. टर्बिडिटी टेस्ट

पी.एच. टेस्ट

शुद्ध जल का पी.एच. 7 होता है, पी.एच. जल की अम्लीयता व क्षरीयता के मान की एक इकाई है, यदि पेयजल में पी.एच. ज्यादा हो तो कई प्रकार की त्वचा की बीमारियां होती हैं। जल की प्रकृति की जांच करने के लिए पी.एच. स्केल का उपयोग होता है।

6.5 से कम पी.एच. वाले जल को एसिडिक माना जाता है। यह जल आमतौर पर संक्षारक और नरम होता है। उसमें धातु जैसे कि तांबा, लोहा, शीशा, मैग्नीज, और जिंक जो विषैले हो सकते हैं।

8.5 से ज्यादा पी.एच. वाले पानी को क्षारीय माना जाता है। यह जल क्षार युक्त स्वाद दे सकता है। क्षारीय पानी में ऐसे आयन होते हैं जो पाइपों में निक्षेपों की पपडियां बना सकते हैं।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामानः

मेजरिंग सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर, (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं पीएच रिएजेंट नंबर 01

प्रयोग विधि

1. एक नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धोयें। इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर में 10 मिली नमूना जल भरे।
2. इसमें पी.एच. रिएजेंट नंबर एक की 02 बूंद डालें, थोड़ा सा हिलाएं।
3. इसे अच्छी तरह से हिला कर 01 से 2 मिनट तक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए रख दें।
4. पी.एच. की मात्रा के अनुसार घोल का रंग बदल जाऐगा इस घोल के रंग को दिए गए कलर चार्ट से मिलान कर पी.एच. मात्रा ज्ञात करें।

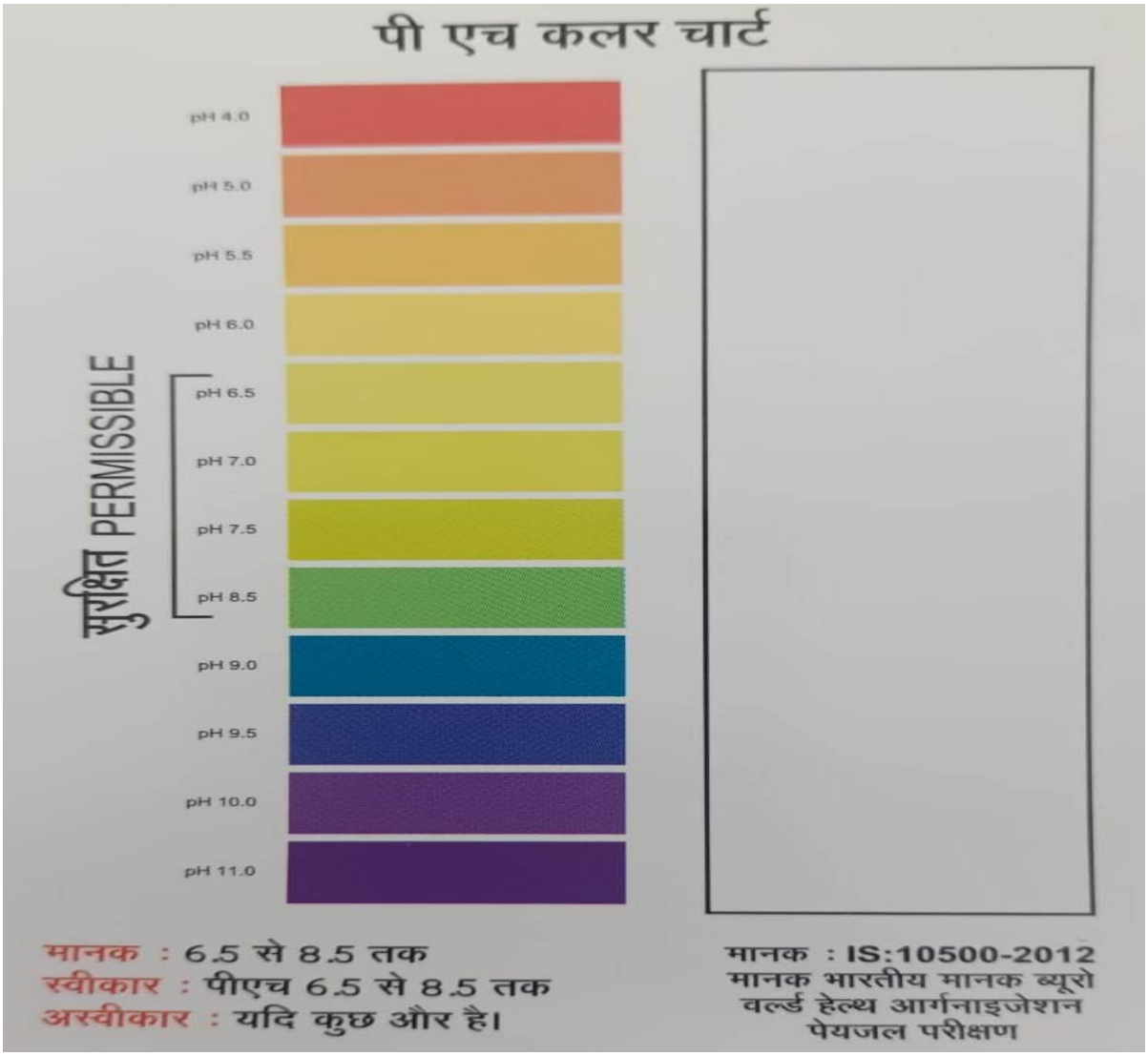

कुल कठोरता टेस्ट

कठोरता का प्रमुख कारण पानी में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयनों की उपस्थिति है। पानी में अत्याधिक कठोरता पाइपों में पपड़ी जमने के साथ–साथ उदर के रोग फैलाने का कारण होती है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान

मेजरिंग सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर, (कांच की टेस्टिंग टयुब) ग्लास, रॉड एवं कुल कठोरता रिएजेंट नंबर 2,3,4

प्रयोग विधि

1. एक नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धो लें इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर में 10 मि.ली. नमूना जल भरे
2. इसमें कुल कठोरता रिएजेंट नंबर दो की दो बूंद डालकर थोड़ा सा है हिलाएं।
3. इसके बाद नमूना जल में कुल कठोरता रिएजेंट नंबर 3 से 1 टेबलेट डालकर तब तक हिलाएं जब तक कि टेबलेट घुल ना जाए अथवा दी हुई ग्लास राड से धीरे–धीरे टेबलेट तोड लें जिससे नमूने जल का रंग हल्का/गहरा गुलाबी हो जाएगा।
4. फिर इसमें कुल कठोरता रिएजेंट नंबर 4 की एक–एक करके बूंदें डालकर गिनते जाएं साथ में इसको हिलाते जाएं जब तक कि नमूने जल का रंग गुलाबी से हल्का /गहरा नीला हो जाए।

नोट :–रिएजेंट नंबर 02 और 03 डालने से ही नमूने जल का रंग हल्का गहरा गुलाबी दिखेगा जब रिएजेंट नंबर 04 की बूद डालते जाएंगे तब नमूने जल का रंग गुलाबी से नीला हो जाएगां अगर नमूना जल में रिएजेंट नंबर 2,3 डालने के बाद रिएजेंट नंबर 4 की एक बूंद पर ही नमूने का रंग हल्का /गहरा नीला हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जल की कुल कठोरता 50 मिलीग्राम/लीटर से कम है।

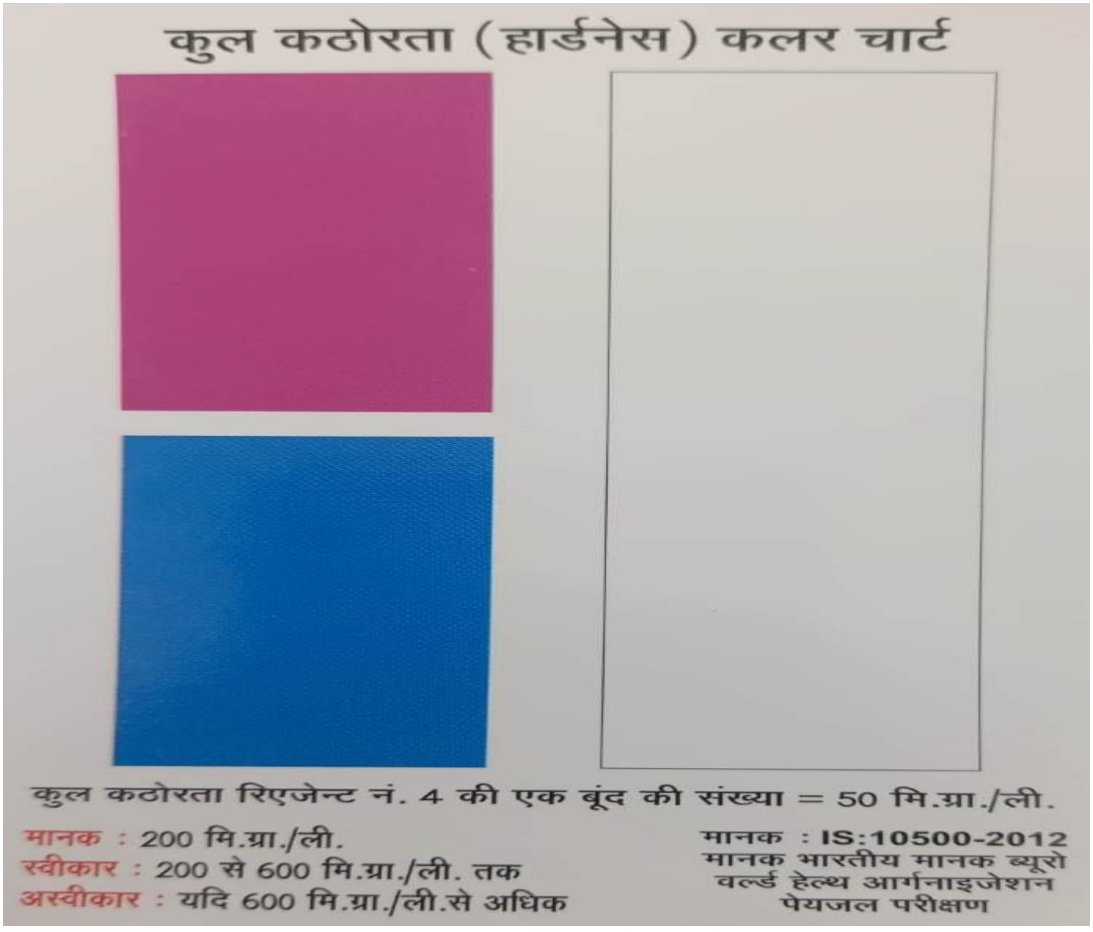

क्लोराइड टेस्ट

जल मे समान्यतः क्लोराइड पाया जाता है। पेयजल में अत्याधिक क्लोराइड के होने से स्वाद खराब होता है तथा पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव डालता है इसलिए पेयजल में क्लोराइड की जांच की जाना आवश्यक होती है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान

मेजरिंग सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर, (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं क्लोराइड टेस्ट रिएजेंट नंबर 5 व 6 **प्रयोग विधि**

1. एक नेशलर सिलेंडर को नमूना जल से धोए इसके बाद नेशलर सिलेंडर में मेजरिंग सिलेंडर से नापकर 5 मिलीमीटर नमूना जल भरे।
2. इसमें क्लोराइड रिएजेंट नंबर 5 की 3 बूंद डालकर हिलाएं इससे परीक्षण जल का रंग पीला हो जाएगा।
3. फिर इसमें क्लोराइड रिएजेंट नंबर 6 की एक–एक करके बूदें डालकर गिनते जाएं साथ में इसको हिलाते जाएं जब तक कि नमूने जल का रंग ईंट जैसा लाल रंग का हो जाए।
4. निम्नलिखित सूत्र से क्लोराइड का मान मालूम करें।

क्लोराइड रिएजेंट नंबर 6 की एक बूंद = 20 मिलीग्राम /लीटर

मानक 250 मिलीग्राम /लीटर तक

स्वीकार 250 से 1000 मिलीग्राम /लीटर तक

अस्वीकार 1000 मिलीग्राम/ लीटर से अधिक

नोट :– रिएजेंट नंबर 5 की बूंद डालने से नमूने जल का रंग पीला देखेगा जब रिएजेंट नंबर 6 की बूंद डालते जाएंगे तब नमूने जल का रंग ईंट जैसा लाल रंग का हो जाएगा। अगर नमूना जल में रिएजेंट नंबर 5 डालने के बाद एजेंट नंबर 6 की एक बूंद पर ही नमूने का रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जल में कुल क्लोराइड की मात्रा 20 मिलीग्राम/ लीटर से कम है।

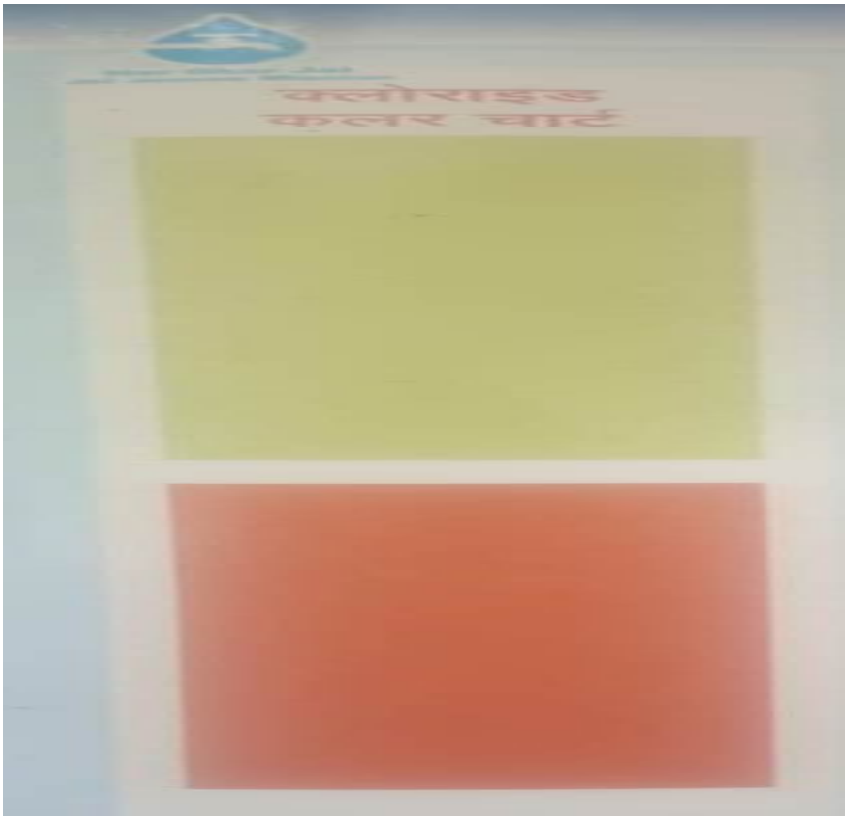

फ्लोराइड टेस्ट

शरीर में फ्लोराइड की आपूर्ति पानी से ही होती है पर पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा फ्लोरोसिस का कारण बन सकती है जो दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है इस कारण पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा बराबर होना चाहिए।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान

मेजरिंग सिलेंडर नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं फ्लोराइड टेस्ट रिएजेंट नंबर 7

प्रयोग विधि

1. 1 नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धोएं।
2. मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर में 4 मिलीलीटर नमूना जल भरे,
3. फिर इसमें रिएजेंट क्रमांक 7 में से 1 मिलीलीटर (20बूंद) मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर डाल कर हिलाएं
4. इसके बाद रंग परिवर्तन का निरीक्षण करें फ्लोराइड की मात्रा के अनुसार घोल का रंग गुलाबी से नारंगी या पीला हो जाए
5. फ्लोराइड की मात्रा ज्ञात करने हेतु नेसलर सिलेंडर के नमूना जल के रंग को दिए गए कलर चार्ट से मिलान कर देखें और सर्वाधिक निकट रंग देखकर फ्लोराइड की पी.पी.एम. मात्रा जान लें ।

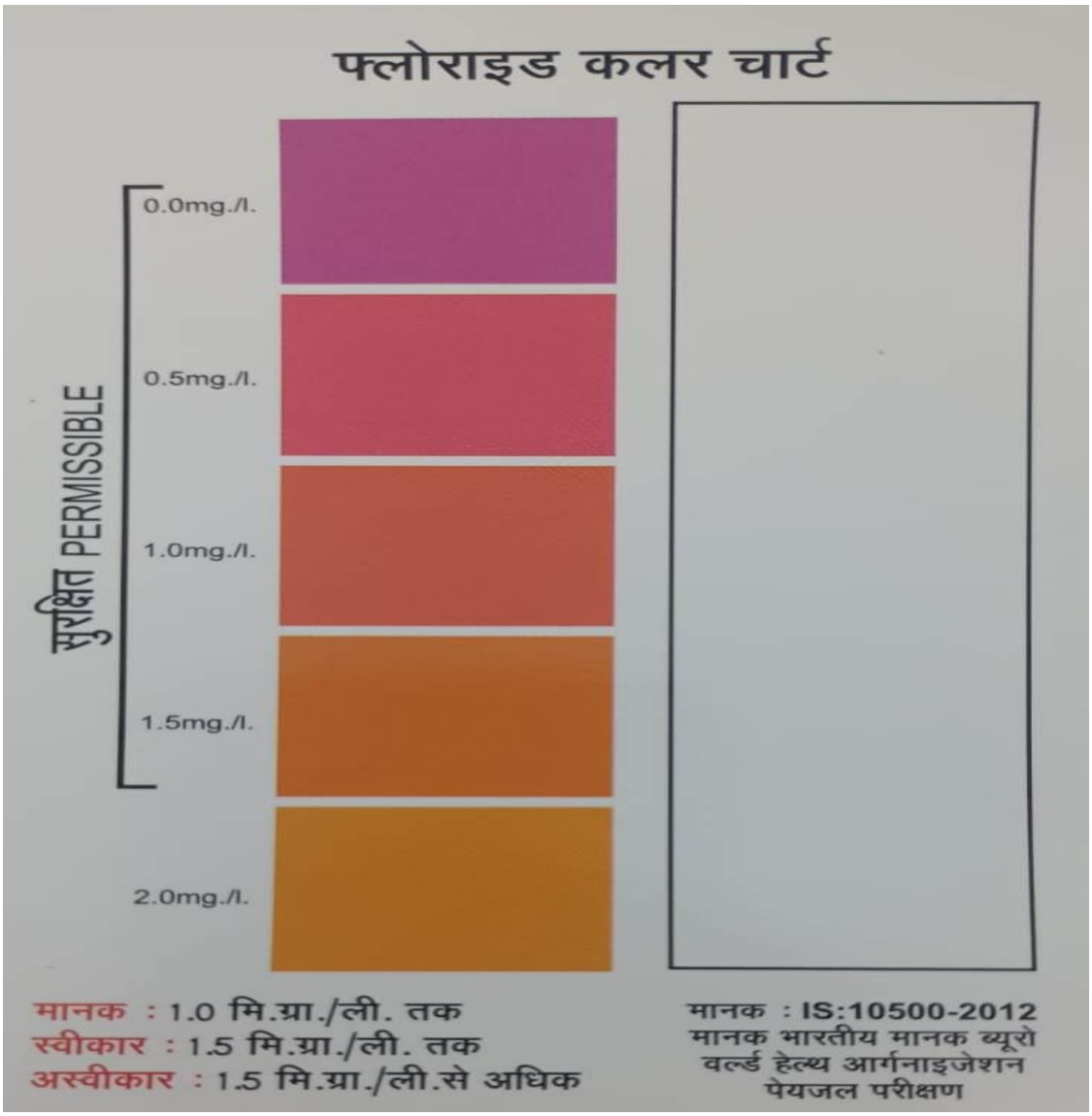

सज्जन सिंह चौहान
संकाय सदस्य

महिला सशक्तिकरण – एक सशक्त समाज

श्रृष्टि की संरचना से लेकर मानव की उत्पत्ति में यदि कोई अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है तो वह नारी हैए फिर चाहे वह किसी भी अवस्था में हमारे अस्तित्व की रक्षा करती हों। तभी पृथ्वी हो या धरती होए नदियां हो या गाय सभी को माँ की भूमिका में देखा जाता है क्योंकि यह सभी संसार को माँ के रूप में पालती हैं।

परिवर्तन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको जब तक आप अपनाते नहीं तब तक आप उन्नति और समृद्धि का स्वागत नहीं कर सकते है। परिवर्तन ही संसार का वास्तविक नियम भी हैं, जब तक आप परिवर्तन को नकारकर कुरीतियों की कैद में रहेंगे तब तक आप समय के साथ स्वयं को संसार के साथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।

कबीर दास ने कहा है – गये रोये हंसि खेलि के, हरत सबौं के प्राण कहै कबीर या घात को समझै संत सुजान। इसका अर्थ यह है कि गाकर, रोकर, हंसकर या खेल कर नारी सब के प्राण हर लेती हैं। कबीर कहते हैं कि इसका आघात या चोट केवल संत और ज्ञानी ही समझते हैं।

एक सशक्त समाज मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है ताकि वे स्वयं निर्णय ले सकें और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध के अपने जीवन को संभाल सकें। सरल शब्दों मेंकहे तो यह महिलाओं को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। चूंकि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हमेशा से उत्पीड़ित का शिकार रही हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य उन्हें पुरुषों के साथ समान रूप से खड़े होने में मदद करना है। यह परिवार के साथ.साथ एक देश की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत कदम है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज की परिवर्तित सोच निश्चित रूप से लैंगिक समानता का गवाह बनेगी और समाज के हर तबके की महिला को अपनी मर्जी से खड़े होने और अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाने में मदद करेगी।

महिलाओं को दूसरों की प्राथमिकताओं के आधार पर खुद को ढालना सिखाया जाता है और पुरुषों को नेतृत्व करना सिखाया जाता है क्योंकि दिन के अंत में महिलाओं को घर के कामों का प्रबंधन करना पड़ता है जबकि पुरुष नायक होते हैं जो अपने परिवार को बचाते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह भारत में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादिता है और इसका एक कारण महिलाओं को समाज में बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना है। एक महिला को अपने घरेलू मामलों में भी अपनी राय रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, राजनीतिक या वित्तीय दृष्टिकोण बहुत पीछे हैं। महिलाएं जन्मजात नेता होती हैं और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं जहां एक पुरुष को वह करने का पूरा अधिकार है जो वह चाहता है ओर महिलाओं के लिए दोहरे मापदण्ढ का निवाहन किया जाता रहा है ।

सदियों से महिलाओं को पुरुषों के सामने खाने या अन्य पुरुषों के सामने बैठने की अनुमति नहीं थी। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विश्व स्तर पर एक प्रमुख चिंता का विषय है। लैंगिक समानता दोनों लिंगों को शिक्षा के समान और समान संसाधन प्रदान करने से शुरू होती है। बालिकाओं की शिक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए न कि केवल एक विकल्प। एक शिक्षित महिला अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर जीवन का निर्माण करने में सक्षम होगी। समाज में महिलाओं के विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक महिला को शिक्षा प्राप्त करने, पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और जागरूकता फैलाने का अवसर मिले। लिंग समानता ही यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों तक पहुंच दोनों लिंगों को समान रूप से प्रदान की जाए और समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यहां तक कि पेशेवर स्तर पर भी महिलाओं को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक पुरुष उम्मीदवार को महिला उम्मीदवार से पहले पदोन्नत किया जाता है। मानसिकता बदलनी चाहिए और योग्य उम्मीदवारों को ही पदोन्नत किया जाना चाहिए। लैंगिक समानता सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी के लिए बुनियादी मानवाधिकार सुनिश्चित करता है।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा साधन है और एक ऐसा कारक भी है जो देश के समग्र विकास में मदद करता है। शिक्षा महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है। जैसा कि भारत के पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है सशक्त भारत माता। एक शिक्षित महिला अपने आसपास की अन्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देगी, उनका मार्गदर्शन करेगी और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक भी होगी। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान, वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता हासिल करने में मदद करती है। शिक्षा शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करेगी क्योंकि एक शिक्षित महिला स्वास्थ्य देखभाल, कानूनों और अपने अधिकारों से अवगत है। एक महिला को शिक्षित करने से परिवार को लाभ होगा और समाज का विकास भी होगा । उचित शिक्षा के साथ महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक हासिल कर सकती हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकती हैं।

शिक्षा महिलाओं को अच्छे और बुरे की पहचान करने, उनके दृष्टिकोण, सोचने के तरीके और चीजों को संभालने के तरीके को बदलने में मदद करती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास भी जाग्रत करती है ।आइएं हम सब भी बदलाव का हिस्सा बनें और एक महिला को सशक्त बनाएं।

डॉ वंदना तिवारी,
व्याख्याता

ग्राम पंचायत के कर्तव्य और शक्तियां

ग्राम पंचायत के कार्यो से संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की कौन सी धाराओं में दिया गया है ?

- ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के संबंध में प्रावधान, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49 एवं 49–क में दिये गये हैं।

अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ग्राम पंचायतों के कौन–कौन कर्तव्य हैं ?

- अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि, ग्राम पंचायत जहां तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, अपने क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक बाजारों/मेलों से भिन्न बाजारों/ मेलों की स्थापना प्रबंध विनियमन करेगी।
- ग्राम पंचायत को राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के द्वारा कार्य सौंपे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत इनके अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी। ग्राम पंचायत को सौंपे गये ऐसे कार्य के आवश्यक निधियां और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिनियम की धारा 49 ''क'' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के कौन–कौन कर्तव्य हैं ?

धारा 49 ''क'' ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य : इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, तथा ऐसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं के अनुसार ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगें :–

- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जनपद पंचायत को योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए विहित समय के भीतर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।
- गौशाला तथा कांजी हाउस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुए पशुओं की उचित देखभाल करना।
- किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई हों, ऐसी स्कीमों, संकर्मो, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- धारा 61 ए में यथा परिभाषित ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना।
- स्थानीय योजनाओं, संसाधनो और ऐसी योजनाओं के लिए व्ययों पर नियंत्रण रखना।
- ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्याकंन, मॉनीटरिंग करना।
- ग्राम सभा को समनुदेशित कृत्यों से संबंधित संकर्मो, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा को पुनः आवंटित करना।

पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कौन–कौन सी शक्तियॉ हैं ?

- पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियॉ के संबंध में अधिनियम की धारा 53 में प्रावधान किये गये हैं।
- पंचायतों को समुचित स्तर पर बजट तथा कर्मचारिवृंद सौंपी जाना।
- पंचायतों को सौंपे गये 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिये पंचायतों को शक्तियॉ सौंपना।
- ग्राम सभा के कार्य धारा 7, ग्राम पंचायत के कार्य धारा 49, धारा 49–क, अध्याय 14–क अनुसूचित क्षेत्र विशिष्ट उपबंध के अधीन पंचायत को सौंपे गये कर्तव्य और कृत्यों को पूरा करने के लिये स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने लिए ग्राम पंचायत को समर्थ बनाना।

ग्राम पंचायत को कौन–कौन सी शक्तियां दी गई हैं ?

ग्राम पंचायत को निम्नानुसार शक्तियॉ दी गई हैं :–

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत् ग्राम पंचायत की शक्तियां धारा 54
- भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण धारा 55
- सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण धारा – 56
- मार्गो का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति धारा 57

- बाजारों या मेलों का विनियमन धारा 58
- सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति धारा 59
- जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमिओं पर अतिक्रमण धारा 60
- समझौता करने की शक्ति धारा 61

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत् ग्राम पंचायत की शक्तियां कौन–कौन सी हैं ?

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत् ग्राम पंचायत की शक्तियां धारा 54 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अधिनियम के अधिनियम नीतियों, निर्देशों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्न कार्य करेगी :–

- घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को विनियमन करने,
- संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने,
- स्वच्छता, सफाई, जननिकास, जनसंक्रमों, जलप्रदाय के स्त्रोतों का अनुरक्षण करने,
- जल के उपयोग का विनियमन करने,
- पशुवधों का विनियमन करने
- कर्मशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का विनियमन करने,
- पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करने
- ऐसे अन्य कृत्य करने, जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन आवश्यक है, कि शक्ति होगी।

ग्राम पंचायतें भवनों के परिनिर्माण पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकतीं हैं ?

- भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण धारा 55 की उपधारा 1 के अनुसार, इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार के सिवाए किसी भवन का निर्माण या विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुर्ननिर्माण नहीं करेगा।
- परन्तु ग्राम पंचायत, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी कालावधि जैसी कि राज्य सरकार तय करे, उसका निर्णय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जायेगी।
- परन्तु यह और कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण करने या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने या किसी भवन का पुनर्निमाण करने की अनुज्ञा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी।

- यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना और किन्हीं ऐसी शर्तो के जिनके अधीन अनुज्ञा दी गई है, प्रतिकूल, किसी भवन का परिनिर्माण करता है, उसमें परिवर्तन, परिवर्धन अथवा पुर्ननिर्माण करता है तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को रोक दें और सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन या पुर्ननिर्माण को परिवर्तित कर दे या गिरा दे, जैसा कि वह लोक हित में समझें।
- यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम उपधारा 2 के अधीन तामील की गई सूचना में अन्तर्विष्ट निर्देशों का पालन ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं करता है तो ग्राम पंचायत स्वयं ऐसी कार्यवाही जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर कर सकेगी और ऐसे व्यय का संदाय उस व्यक्ति द्वारा तारीख से, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा मांग सूचना तामील की गई है, तीस दिन के भीतर किया जायेगा, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर व्ययों का संदाय न किये जाने पर, उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के तौर पर की जावेगी।
- उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई इस धारा के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा शर्तो का उल्लधंन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबन्धों के अधीन दिये गये किन्हीं विधिपूर्ण निर्देषों या अध्यपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह साधारण कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 2000 रू. तक हो सकेगा, या दोनों से, और अपराध के चालू रहने की दषा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पष्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि अपराध चालू रहता है, दौ सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।
- उपधारा 2 के अधीन ग्राम पंचायत के किसी निर्देष या सूचना के विरूद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी का ऐसी अपील पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्या अधिकार हैं ?

- सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण धारा – 56
  के अनुसार कोई भी जो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक मार्ग या खुल स्थल पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर –
- किसी दिवाल, बाढ़, जंगले, खम्बे, स्टाल, बरामदे, चबूतरे, कुर्सी, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बना कर, या

- ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में उल्लेखित शर्तो के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करके कि जिससे वह सार्वजनिक सड़क पर या
- किसी ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ प्रलंबित हो, या किसी स्थल से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटा कर, या
- किसी चारागाह या अन्य भूमि में अपराधिकृत रूप से खेती करके कोई रूकावट, बाधा या अतिक्रमण करेगा, जुर्माने से, फिर जो 1000 रू. तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध के मामले में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे अतिक्रमण, बाधा चालू रहती है या आगे निकला हुआ भाग बना रहता है, 20 रू. तक का हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा।
- उपधारा 1 में अर्न्तविष्ट में किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने और चारागाह या किसी भूमि पर जो निजी संपत्ति न हो, अप्राधिकृत रूप से उगाई गई फसल को हटाने की शक्ति होगी और उसे किसी ऐसे खुल स्थान में कि, जो निजी संपत्ति न हो चाहे वह स्थल ग्राम पंचायत में निहित हो या न हो, उसी प्रकार की किसी अपराधिकृत बाधा या अतिक्रमण या आगे निकले हुए भाग को हटाने के लिए भी वैसी ही शक्ति होगी, और इस प्रकार हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसने उक्त अतिक्रमण किया है और ऐसे व्ययों के संदाय न किये जाने पर ऐसा व्यय भू–राजस्व के बकाया के तौर पर उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा।
- परन्तु उपधारा 1 तथा इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि ग्राम पंचायत भी, यदि ग्राम पंचायत राज्य सरकार में निहित किसी भूमि पर से किसी रूकावट, बाधा या अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प करती है तो वह ऐसी भूमि से ऐसी रूकावट, बाधा या अतिक्रमण हो हटाने के लिए तहसीलदार को संसूचित कर सकेगी और तहसीलदार ऐसा करने के लिए मध्यप्रदेष भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रं. 20 /2 1959) के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा।
- ग्राम पंचायत, इस धारा में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी त्यौहारों तथा उत्सवों के अवसरों पर, अधिक से अधिक 10 दिन के लिए सार्वजनिक स्थान का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थाई रूप से अधिभोग किये जाने या उस पर कोई परिनिर्माण किये जाने या आगे निकला हुआ भाग निर्मित करने की अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के अनुसार दे सकेगी।
- ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी, जब तक कि कोई संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

- धारा 56–क के अनुसार विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के मामले में धारा 55 तथा 56 के अधीन ग्राम पंचायत की शक्तियां विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जायेंगी।

क्या ग्राम पंचायतें मार्गो का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डाल सकतीं हैं ?

हॉ, मार्गो का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति धारा 57 के अनुसार ग्राम पंचायत किसी मार्ग का नामकरण करवा सकेगी तथा किसी भवन पर क्रमांक भी डलवा सकेगी तथा समय समय पर मार्गो के ऐसे नाम तथा भवनों के क्रमांक में परिवर्तन भी करवा सकेगी।

बाजारों या मेलों का विनियमन के संबंध में ग्राम पंचायत की क्या शक्तियां हैं ?

- बाजारों या मेलों का विनियमन धारा 58 के अनुसार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में यथा उपबन्धित के सिवाए, ग्राम पंचायत के अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजार या मेले के प्रयोजन के लिए कोई स्थान न तो नियत करेगा न स्थापित करेगा और न ही उपयोग करेगा।
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी बाजार या मेले को सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला घोषित कर सकेगी और इस प्रकार घोषित यथास्थिति सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला जनपद पंचायत में निहित होगा।
- राज्य सरकार उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट बाजार या मेले के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट बाजार या मेले के विनियमन के लिये राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 बनाया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग किया जावेगा।

समझौता करने की शक्ति धारा 61

समझौता करने की शक्ति धारा 61 के अनुसार पंचायत, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, किसी ऐसे वाद के संबंध में जो उसके द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित किया गया है, या किसी ऐसे दावे या मांग के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की गई किसी संविदा से उद्भूत है, समझौता ऐसे निबंधनों पर कर सकेगी जो वह उचित समझे।

ग्राम पंचायतें अपने कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का उपयोग अच्छे से कैसे कर सकती हैं ?

- सार्वजनिक बाजारों, मेलों आदि को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करवायें।
- राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के द्वारा सौंपे गये कार्यो को पूरा करवाये। इसी प्रकार से किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई हों, ऐसी स्कीमों, संकर्मो, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।

- ग्राम पंचायतों से अपेक्षा है कि वे, अपने क्षेत्र में लोगों के आर्थिक विकास करने एवं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिये प्रयास करें।
- ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना, अनुमोदन देना और जीपीडीपी का गुणवत्तापूर्ण कियान्यवन करवाना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार गौशालाओं, कांजी हाउस की स्थापना तथा उसका प्रबंध करना।
- गॉव में भटके हुए पशुओं की उचित देखभाल करने की लिये उचित प्रबंध करना।
- धारा 61 ए में यथा परिभाषित ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना।
- स्थानीय योजनाओं, संसाधनो और ऐसी योजनाओं के लिए व्ययों पर नियंत्रण रखना।
- ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के कियाकलापों का समन्वय, मूल्याकंन, मॉनीटरिंग करना।
- ग्राम सभा को समनुदेशित कृत्यों से संबंधित संकर्मो, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा को पुनः आवंटित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के प्रबंध करना।
- भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण रखें।
- सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण को हटाने की व्यवस्था करना।
- मार्गो का नामकरण करें तथा भवनों पर क्रमांक डलवायें।
- बाजारों या मेलों का विनियमन करें।
- आवश्यकतानुसार समझौता करने की शक्ति का उपयोग करें।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,

संकाय सदस्य

संस्थान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम

संस्थान में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संचालक, श्री संजय कुमार सराफ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर संस्थान के समस्त अधिकारीगण, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर एवं शासकीय सेवक शामिल हुये।

सपनों को साकार करता समूह

1 जिले का नाम	–	भोपाल
2 ब्लॉक का नाम	–	बैरसिया
3 गांव का नाम	–	रतुआ रतनपुर
4 सदस्य का नाम	–	श्रीमती मालती कुशवाहा पति नरेन्द्र कुशवाहा
5 उम्र	–	27 वर्ष
6 शिक्षा	–	10 वीं
7 समूह का नाम	–	कल्पना आजीविका स्व सहायता समूह
8 समूह का गठन	–	27/09/2017
9 सदस्यों की संख्या	–	13
10 ग्राम संगठन	–	उन्नती आजीविका ग्राम संगठन
11 समूह से लिया गया ऋण	–	25000/– स्वरोजगार से एवं समूह से 50000/–
12 प्रमुख कार्य	–	किराना दुकान एवं सिलाई कार्य
13 गतिविधि का नाम	–	किराना दुकान एवं आजीविका एक्सफ्रश
14 गतिविधि प्रारंभ करने का दिनांक–		10/05/2018

- गतिविधि का प्रभाव – आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत होना एवं समाज एवं ग्राम में स्वयं की पहचान बनाना एवं आर्थिक स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हुआ और कच्चे मकान से पक्का मकान बानाने का सपना पूरा हुआ है।
- सामाजिक प्रभाव – धीरे–धीरे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी ।
- आर्थिक प्रभाव – समूह से जुड़ने के पश्चात समूह से आसानी से ऋण प्राप्त हुआ एवं पति को भी नया रोजगार मिला
- परिवार का प्रभाव – परिवार मे स्वच्छ कपडे अच्छा भोजन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना एवं पति पन्ति दोनो को बारा बारी का हक मिला घर और समाज में दोनो के काम करने आत्म विश्वास मे बढोतरी हुई।
- सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार– जनरल स्टोर व सिलाई कार्य करने के बाद अब आर्थिक स्थिति सामान्य हो रही है जिससे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो रही है।
- गतिविधि के विषय पर पूर्व की स्थिति – पहले पति नरेन्द्र के द्वारा साईकल से मनीहर का समान एक गावं पुरे दिन में गुम कर 100 एवं 200 कमाते थे और मालती

दीदी मजदूरी करती थी और ऐसा कोई काम भी नहीं आता था जिससे आय का साधन बन सके ।

- गतिविधि के विषय पर वर्तमान स्थिति – समूह में जुड़ने के पश्चात रूडसेटी के माध्यम से सिलाई सीखी और समूह से 5000 रूपये लेकर धर पर सिलाई मशीन खरीदी और साथ ही जनरल स्टोर की शुरूआत की जिसमें सभी प्रकार की सामग्री रखी आज ग्रामीण दीदीयो को मार्केट नही जाना पडता है मालती दीदी ने घर पर रहकर काम शुरू किया जिससे लगभग 3000 से 5000 हजार रूपये माह के कमा लेती है और साथ ही स्कूल की ड्रेस सिलाई कार्य मिला जिसमें मालती दीदी ने 25000 रूपये कमाये उन्नती आजीविका ग्राम सगठंन ग्राम रतुआ रतनपुर द्वारा 50000 रूपये लिये जिससे मालती दीदी ने पति को ओमनी गाड़ी दिलवाई अब पति नरेन्द्र 3 से 5 गावं में गाड़ी गुमाकर मनहरी एवं साड़ी अपना सामान बेचने और अन्य कार्य आसानी से कर पाते है। दोंनो पति पत्नि 8 से 12 हजार कमा लेते है। मालती दीदी द्वारा अब परिवार के पालन पोषण के साथ बचत करना भी शुरू किया है। ताकि बचत राशी बुरे वक्त मे काम आ सके। ''आज कि बचत कल का सहारा इसी सिद्वान्त के साथ मालती दीदी समुह का कार्य नियमित रूप से कर रही है।'

अशोक गोयल
संकाय सदस्य

बाल हितेषी एवं महिला हितेषी गर्वनेन्स पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला

पृष्ठभूमि

सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाये गये सतत विकास में 2030 एजेण्डा द्वारा 17 लक्ष्यों और 247 संकेतकों पर आधारित अत्यन्त महत्वकांशी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था भारत भी सतत विकास के इस एजेण्डा पर हस्ताक्षरकर्ता था परिणाम स्वरूप हाल के वर्षो में भारत सरकार के पंचायत राज मन्त्रालय ने सभी राज्यों को पंचायत राज के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यो (एस जी डी) के अनुरूप सुशायन को लक्षित करने वाले पी0 आर0आर0आई0 पदाधिकारीयों की क्षमता र्निमाण के लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लागू करने की सलाह दी तदानुसार पंचायत राज मन्त्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा द्वारा पी0आर0आई0 के लिए स्थानीय लक्ष्यों और संकेतको के साथ 17 सतत विकास के लक्ष्यो के स्थानीयकरण पर 9 विषयों की सिफारिश की गई हैं जिसमें थीम 9 महिला हितेषी ग्राम (Engendered Development in village or women friendly village)है।

इस सन्र्दभ में जमीनी स्तर पर `कह के स्थानीयकरण के लिए विशेषज्ञ समिति

द्वारा स्थानीय लक्ष्य और स्थानीय संकेतको की पहचान की गई है यह उम्मीद की जाती है कि LSDG के माध्यम से PRI को अपने क्षेत्रों में SDG को अनुकूल करने, लागू करने और निगरानी करने में मदद करेगें क्या इसके माध्यम से बच्चों और महिलाओं के दृष्टिकोण से पूरे होते है या नही । इस सन्र्दभ में महिलाओं की प्रतिक्रिया कैसी है तथा योजना के माध्यम से महिलाओ की जरूरतो / आवश्यकताओं को एकृति किया जाता है या नही । क्या महिला / पुरूष / फ्रन्ट लाइन र्वकर / अन्य सभी हित ग्राहियों को अपने या बच्चों के अधिकार या हक के बारे में विचार करते है।

यह स्थानीय स्वशासन स्तर पर बाल मैत्रीपूर्ण गांव या गांव के विकास को मजबूत करने का उपयुक्त समय है। इस पृष्ठभूमि के साथ बाल उत्तरदायी और लिंग उत्तरदायी शासन को मजबूत करने पर यूनीसेफ और भीमराव अम्बेडकर प्रशासन एवं पंचायतरात विकास संस्थान कल्याणी पश्चिम बंगााल के सहयोग से बाल उत्तरदायी एवं लिंग उत्तरदायी शासन को मजबूत करने हेतु दिनांक 19 से 20 जुलाई 2023 तक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके उद्वेश्य निम्न प्रकार से थें

1 लक्ष्यों के लिए लक्षित किये जाने वाले संकेतकों (तत्काल , अल्पअवधि , र्दीघावधि)की पहचान करना

2.प्रशिक्षण के माध्यम से दिये जाने वाले इन उमददों पर इनपुट की पहचान करना और उसके अनुसार बाल एवं महिला हितेषी ग्राव को मजबूत करने के लिऐ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ।

3. बाल हितेषी एवं महिला हितेषी ग्राम के संबध में विभिन्न राज्यो में मौजूद अच्छी प्रथाओं को इक्ठ्ठा करना ।

इस कार्यशाला में उड़ीसा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान केरला ,कर्नाटक, आसाम, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ने अपनी सहभागिया दी तथा अपने राज्य में संचालित अच्छी प्रथाओं पर प्रस्तुति दी । महात्मा गांध राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अधारताल जबलपुर से श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकास खण्ड की ठिररी ग्राम पंचायत की प्रस्तुति की जिसमें सरपंच द्वारा महिला हितेषी गांव बनाने हेतु प्रयास किये गये है।

अर्चना कुलश्रेष्ठ
व्याख्याता